दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय घोषित: 24 जनवरी, 2023

निम्न मामले में:

रि.या.(सि.) 4319/2021

नेहा कपूर और अन्य ..... याचीगण

द्वारा: सुश्री नेहा कपूर, अधिवक्ता।

बनाम

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा: सुश्री शिवा लक्ष्मी, सी.जी.एस.सी. के साथ सुश्री सृष्टि रावत और सुश्री रिधिमा मल्होत्रा, आर-2 की अधिवक्तागण ।

कोरमः

माननीय मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

निर्णय

मु.न्या. सतीश चंद्र शामर,

1. याचीगण द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत तत्काल रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थीगण को निर्देश दिया गया है कि वे गैर-फिल्मी गीतों, उनके बोलों और वीडियो को सेंसर/समीक्षा करने के लिए एक

नियामक प्राधिकरण/सेंसर बोर्ड का गठन करें, जो टेलीविजन, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं और गैर-फिल्मी गीतों के संगीतकारों के लिए ऐसे गीतों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराने से पूर्व प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य बनाते हैं। याचीगण इसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 को किसी भी मंच/अनुप्रयोग द्वारा इंटरनेट पर जारी किए जाने से पहले प्रत्येक गैर-फिल्मी गीत और वीडियो सहित इसकी सामग्री की जांच करने के लिए एक निकाय का गठन करने और अश्लील/अभद्र सामग्री इंटरनेट पर उपलब्ध ऐसे सभी गैर-फिल्मी गीतों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने का निर्देश देने की भी मांग करता है।

2. मामले में दिनाँक 07.04.2021 को नोटिस जारी किया गया और प्रति-शपथपत्र दायर किया गया है

3. भारत संघ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (इसके पश्चात से सूचना प्रौद्योगिकी के रूप में संदर्भित) की धारा 87 की उप-धारा (1), उप-धारा (2) के खंड (य), और (यछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 (इसके पश्चात 'नियम' के रूप में संदर्भित) का अधिक्रमण करते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 लाया गया है (इसके पश्चात इसे 'आचार संहिता' के रूप में संदर्भित) आचार संहिता प्रत्येक मध्यवर्ती द्वारा अपनाई जाने वाली एक व्यवस्था निर्धारित करती है। एक मध्यवर्ती को

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 2(ब) के तहत परिभाषित किया गया है और इसे निम्नानुसार पढ़ा जाता है

"2.(ब) *"मध्यवर्ती" किसी विशेष इलेक्ट्रॉनिक संदेश का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस संदेश को प्राप्त करता है, संग्रहीत करता है या पारेषित करता है या उस संदेश के संबंध में कोई सेवा प्रदान करता है;"*

4 महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती और सोशल मीडिया मध्यवर्ती को आचार संहिता की क्रमशः धारा 2(फ) और 2(ब) के तहत परिभाषित किया गया है और इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"2. .....

(फ) 'महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती' का अर्थ है एक सोशल मीडिया मध्यवर्ती जिसका भारत में पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा से अधिक है;

(ब) 'सोशल मीडिया मध्यवर्ती' का अर्थ है एक मध्यवर्ती जो मुख्य रूप से या पूरी तरह से दो या दो से अधिक उपयोगकर्ताओं के बीच ऑनलाइन बातचीत को सक्षम बनाता है और उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करके सूचना बनाने, अपलोड करने, साझा करने, प्रसारित करने, संशोधित करने या उपयोग करने की अनुमति देता है;"

5. आचार संहिता की धारा 3 सभी मध्यस्थों द्वारा पालन किए जाने वाले सम्यक तत्परता को निर्धारित करती है और यह नीचे दिया गया हैः

"3. (1) एक मध्यस्थ: द्वारा सम्यक तत्परता *सोशल मीडिया मध्यवर्ती और महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती सहित एक मध्यवर्ती अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय निम्नलिखित सम्यक तत्परता का पालन करेगा, अर्थात्ः–*

(क) मध्यवर्ती अपनी वेबसाइट, मोबाइल आधारित अनुप्रयोग या दोनों पर, जैसा भी मामला हो, किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने कंप्यूटर संसाधन की पहुंच या उपयोग के लिए नियमों और विनियमों, निजता नीति और उपयोगकर्ता समझौते को प्रमुखता से प्रकाशित करेगा;

(ख) नियम और विनियम, निजता नीति या मध्यवर्ती का उपयोगकर्ता समझौता उपयोगकर्ता को अपने कंप्यूटर संसाधन के बारे में सूचित करेगा कि वह किसी भी सूचना को होस्ट, प्रदर्शित , अपलोड, उपांतरित, प्रकाशित, पारेषित, भंडार, अद्यतन या साझा न करे जो -

(i) किसी अन्य व्यक्ति से सम्बंधित जिसके प्रति उपयोगकर्ता के पास कोई अधिकार नही है

(ii) अपमानजनक, अश्लील, कामोद्दीपक, बालयौन शोषण, दूसरे व्यक्ति की निजता को भंग करने वाली , जिसमें शारीरिक निजता, लिंग के आधार पर अपमानजनक या तंग करने वाली करना, निंदकारी है, मूल वंश या जातीय रूप से आक्षेपकारक, जो धनशोधन

या जुआ या उस से संबंधित या बढ़ावा देने वाली, या अन्यथा उस समय परकिसी विधि से असंगत के असंगत या प्रतिकूल है;

(iii) बच्चे के लिए हानिकारक है;

(iv) किसी पेटेंट, व्यापार चिन्ह, प्रतिलिप्याधिकार अन्य सम्पत्तिक अधिकारों का उल्लंघन करता है

(v) उस समय पर लागू किसी भी विधि का उल्लंघन करता है

(vi) संदेश की उत्पत्ति के संबध में प्रेषिती को धोखा देना या गुमराह करना या जानबूझकर और आवश्यपूर्वक ऐसी कोई सूचना संसूचित करना जो स्पष्ट रूप से मिथ्या या भ्रामक प्रकृति की हो, लेकिन युक्तियुक्त रूप से एक तथ्य के रूप में बोधगम्य है:

(vii) किसी अन्य व्यक्ति का प्रतिरूपण करना;

(viii) भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या लोक व्यवस्था को चुनौती देता है, या किसी संज्ञेय अपराध को करने के लिए उद्दीपित उकसाता है या किसी अपराध की अन्वेषण को रोकता है या दूसरे राष्ट्र का अपमान करता है;

(ix) इसमें सॉफ़्टवेयर वायरस या कोई अन्य कंप्यूटर कोड, फ़ाइल या प्रोग्राम अन्तर्विष्ट है जो किसी कंप्यूटर

संसाधन की कार्यक्षमता को बाधित करने, नष्ट करने या सीमित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है;

(x) जो स्पष्ट रूप से मिथ्य है और सत्य नही है, और किसी व्यक्ति, अस्तित्व या अभिकरण को वितीय लाभ के लिए या किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से या गुमराह करने या परेशान करने के इरादे से किसी भी रूप में लिखा या प्रकाशित किया गया है

(ग) एक मध्यवर्ती समय-समय पर हर साल कम से कम एक बार अपने उपयोगकर्ताओं को सूचित करेगा कि नियमों और विनियमों, निजता नीति या ऐसे मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन तक पहुंच या उपयोग के लिए उपयोगकर्ता समझौते का पालन न करने की स्थिति में, उसे कंप्यूटर संसाधन तक उपयोगकर्ताओं की पहुंच या उपयोग के अधिकारों को तुरंत समाप्त करने या गैर-अनुपालन सूचना या दोनों को हटाने का अधिकार है।

(घ) एक मध्यस्थ, जिसके कंप्यूटर संसाधन पर सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय द्वारा आदेश के रूप में वास्तविक सूचना प्राप्त करने पर या अधिनियम की धारा 79 की उप-खंड (3) के खंड (ख) के तहत उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर सूचना भंडार, होस्ट या प्रदर्शित की जाती है, किसी भी गैरकानूनी सूचना की मेजबानी, भंडारण या प्रदर्शित नहीं करेगा, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के हित में किसी भी विधि के तहत प्रतिबंधित है; राज्य की सुरक्षा; विदेशी राज्यों के

साथ मैत्रीपूर्ण संबंध; सार्वजनिक व्यवस्था; न्यायालय की अवमानना के संबंध में शालीनता या नैतिकता; मानहानि; उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाना, या कोई भी सूचना जो उस समय लागू किसी विधि के तहत निषिद्ध है।

बशर्ते कि समुचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा किसी भी सूचना के संबंध में की गई कोई भी अधिसूचना जो किसी भी विधि के तहत प्रतिबंधित है, एक अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी की जाएगी, जिसे समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता हैः

बशर्ते कि यदि ऐसी कोई सूचना होस्ट, संग्रहीत या प्रदर्शित की जाती है, तो मध्यवर्ती उस सूचना तक पहुंच को जल्द से जल्द हटा देगा या असमर्थ कर देगा, लेकिन किसी भी मामले में न्यायालय के आदेश की प्राप्ति के छत्तीस घंटे के बाद या समुचित सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा अधिसूचित किए जाने पर, जैसा भी मामला हो,:

बशर्ते कि इस खंड के तहत, खंड (ख) के तहत निर्दिष्ट सूचना की श्रेणियों के भीतर किसी भी सूचना, डेटा या संचार लिंक तक पहुंच को स्वैच्छिक आधार पर या ऐसे मध्यवर्ती द्वारा उपनियम (2) के तहत प्राप्त शिकायतों के आधार पर हटाना या असमर्थ करना, अधिनियम की धारा

79 की उप-खंड (2) के खंड (क) या (ख) की शर्तों का उल्लंघन नहीं होगा।;

(ङ) अपने नियंत्रण में किसी कंप्यूटर संसाधन में किसी मध्यवर्ती द्वारा उस कंप्यूटर संसाधन की एक अभिन्न अभिलक्षण के रूप में स्वचालित रूप से सूचना का अस्थायी या क्षणिक या मध्यवर्ती भंडारण, जिसमें किसी अन्य कंप्यूटर संसाधन में आगे पारेषण या संचार के लिए किसी भी मानव, स्वचालित या एल्गोरिथमिक संपादकीय नियंत्रण का कोई अभ्यास शामिल नहीं है, खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट किसी भी सूचना को होस्ट करने, भंडार करने या प्रदर्शित करने के बराबर नहीं होगा।

(च)मध्यवर्ती समय-समय पर और वर्ष में कम से कम एक बार अपने उपयोगकर्ताओं को अपने नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोगकर्ता समझौते या नियमों और विनियमों, निजता नीति या उपयोगकर्ता समझौते में किसी भी बदलाव के बारे में सूचित करेगा।

(छ) जहाँ खंड (घ) के अधीन स्वैच्छिक आधार पर खंड (ख) के उल्लंघन पर या उपनियम (2) के अधीन प्राप्त शिकायतों के आधार पर वास्तविक सूचना प्राप्त करने पर, ऐसी कोई सूचना हटा दी गई है या जिस तक पहुँच अशक्त कर दी गई है, मध्यस्थ, किसी भी रीति में साक्ष्य को नष्ट किए बिना, ऐसी सूचना और सहबद्ध अभिलेखों के अन्वेषण के प्रयोजनों के एक सौ अस्सी दिन तक या ऐसी दीघ्रतर अवधि के लिए परिरक्षण करेगा जैसा की न्यायालय द्वारा

या सरकारी अभिकरणों द्वारा जो विधिपूर्वक प्राधिकृत है अपेक्षा की जाय

(ज) जहाँ कोई मध्यवर्ती किसी कंप्यूटर संसाधन पर रजिस्ट्रेशन के लिए किसी उपयोगकर्ता से सूचना का संग्रहण करता है, वह उसकी सूचना को यथास्थिति रजिस्ट्रेशन के किसी रद्दकरण या प्रतिसंहारण के पश्चात एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के लिए प्रतिधारित करेगा

(झ) मध्यवर्ती अपने कंप्यूटर सूचना संसाधनो और उनमें अतंविर्ष्ट सूचना को सुरक्षित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जैसा की सूचना प्रौद्योगिकी (युक्तियुक्त सुरक्षा पद्धतियों और प्रक्रिया तथा संवेदनशील व्यक्तिगत सूचना) नियम, 2011 में यथाविहित है; करेगा;

(ञ) मध्यस्थ, यथासंभव जितनी जल्दी हो सके, लेकिन आदेश प्राप्ति के 72 घंटे के पश्चात, अपने नियंत्रणाधीन या कब्जे में सूचना को सहायता को सरकारी अभिकरण को उपलब्ध कराएगा, जो विधिपूर्वक पहचान या सत्यापन करने या उस समय लागू किसी विधि के अधीन या साइबर सुरक्षा घटनाओ, अपराधों का निवारण करने, पता लगाने, जाँच करने या अभियोजन के लिए जाँच करने या संरक्षण या साइबर सुरक्षा कार्यकलापों के लिए प्राधिकृत है या सरकारी अभिकरण को सहायता प्रदान करेगा जो पहचान के सत्यापन के उद्देश्यों के लिए, या किसी भी विधि के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच या अभियोजन के

लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश लिखित रूप में होगा जिसमें स्पष्ट रूप से सूचना या सहायता प्राप्त करने का उद्देश्य बताया जाएगा, जैसा भी मामला हो;

(ट) मध्यवर्ती जानबूझकर कंप्यूटर संसाधन के तकनीकी संरचना को तैनात या प्रतिस्थापित या उपांतरित नहीं करेगा या किसी भी ऐसे कृत में पक्षकार नहीं बनेगा जो कंप्यूटर संसाधन के प्रचालन के सामान्य प्रक्रम को, जो उसके द्वारा किए जाना संभावित है, परिवर्तित करे या उसमें परिवर्तित करने का सामर्थ हो जिससे उस समय लागू किसी विधि का परिवंचन हो बदल सकता है या बदलने की क्षमता रखता है जो उसे करने के लिए माना जाता है जिससे किसी भी विधि को दरकिनार किया जा सकता है। बशर्ते कि मध्यवर्ती कंप्यूटर संसाधन और उसमें निहित सूचना को सुरक्षित करने के कृत्यों का निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए प्रौद्योगिकी साधन विकसित कर सकेगा, उत्पादित कर सकेगा, वितरित कर सकेगा या नियोजित कर सकता है;

(ठ) मध्यवर्ती साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्ट करेगा और सबंधित सूचना को भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल के साथ सूचना प्रौद्योगिकी (भारतीय कंप्यूटर आपात स्थिति प्रतिक्रिया दल के कृत और कर्तव्य निष्पादन

रीति) नियम, 2013 में उल्लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार सूचना को बंटेगा।

(2) मध्यवर्ती का शिकायत निपटान तंत्रः

(क) मध्यवर्ती अपनी वेबसाइट, पर मोबाइल आधारित अनुप्रयोगों या दोनों पर, जैसा भी मामला हो, शिकायत अधिकारी का नाम और उसके संपर्क ब्यौरों के साथ-साथ उस तंत्र को प्रमुखता से प्रकाशित करेगा जिसके द्वारा कोई उपयोगकर्ता या पीड़ित इस नियम के उपबंधों या उसके द्वारा उपलब्ध कराए गए कंप्यूटर संसाधनों से संबंधित किसी अन्य मामलों के संबध शिकायत कर सकेगा तथा शिकायत अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा अर्थात:-

(i) चौबीस घंटे के भीतर शिकायत को अभिस्वीकार करें और इसकी प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर ऐसी शिकायत का निपटान करें;

(ii) समुचित सरकार, किसी सक्षम प्राधिकारी या सक्षम अधिकारिक्ता रखने वाले न्यायालय द्वारा जारी किसी भी आदेश, नोटिस या निर्देश की प्राप्ति और अभिस्वीकृति देना ।

(ख) मध्यवर्ती, इस उप-नियम के तहत किसी व्यक्ति या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत की प्राप्ति के चौबीस घंटों के भीतर, किसी ऐसी सामग्री के संबंध में जो प्रथमदृष्टया किसी ऐसी सामग्री की प्रकृति में

है जो ऐसे व्यक्ति के निजी हिस्से को उद्धरित करती है, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण या आंशिक नग्न दर्शित करती है या ऐसे व्यक्ति को किसी यौन कृत या व्यवहार में दर्शित है या चित्रित करती है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रतिरूपण की प्रकृति की है, जिसमें ऐसे व्यक्ति की कृत्रिम रूप से विकृत छवियां भी शामिल हैं, ऐसी सामग्री को हटाने या उस तक्क पहुँच को असमर्थ बनाने के लिए सभी युक्तियुक्त और व्यावहारिक उपाय करेगा जो उसके द्वारा होस्ट, भंडारित, प्रकाशित या संचारित की जाती हैः

(ग) मध्यवर्ती इस उप-नियम के खंड (ख) के तहत शिकायतों की प्राप्ति के लिए एक तंत्र लागू करेगा जो व्यक्ति या व्यक्ति को ऐसी सामग्री या संचार लिंक के संबंध में जो आवश्यक हो।" ब्यौरा प्रदान करने में सक्षम बना सकता है,

(जोर दिया गया)

6. आचार संहिता की धारा 4 अतिरिक्त सम्यक तत्परता को सामने लाती है जिसका महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा पालन किया जाना है और यह नीचे दिया गया हैः

"4. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती द्वारा बरती जाने वाली अतिरिक्त सम्यक तत्परता ।–

(1) नियम 3 के तहत सम्यक तत्परता के अलावा, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ, नियम 2 के उप-नियम (1) के खंड (v) में निदृष्ट सीमा की अधिसूचना की तारीख से तीन मास के भीतर, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते

समय निम्नलिखित अतिरिक्त सम्यक तत्परता का पालन करेगा, अर्थात्ः-

(क) एक मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त करें जो अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदाई होगा और उस मध्यवर्ती द्वारा उपलब्ध या होस्ट की गई किसी भी प्रासंगिक तीसरे पक्ष की सूचना, डाटा या संचार लिंक से संबंधित किसी भी कार्यवाही में उत्तरदायी होगा, जहां वह यह सुनिश्चित करने में विफल रहता है कि ऐसा मध्यवर्ती अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सम्यक तत्परता करता हैः

बशर्ते कि इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती पर कोई दायित्व नहीं लगाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए-मुख्य अनुपालन अधिकारी का अर्थ है एक प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का ऐसा अन्य वरिष्ठ कर्मचारी जो भारत में निवासी है;

(ख) विधि प्रवर्तन अभिकरणों और अधिकारियों के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति नियुक्त करें ताकि विधि के प्रावधानों या उसके तहत

बनाए गए नियमों के अनुसार उनके आदेशों या आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

स्पष्टीकरण।–इस खंड के प्रयोजनों के लिए-नोडल संपर्क व्यक्ति का अर्थ है मुख्य अनुपालन अधिकारी के अलावा एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्तीका कर्मचारी, जो भारत में निवासी है;

(ग) एक निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति, जो खंड (ख) के अधीन रहते हुए, नियम 3 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट कृत्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए,-निवासी शिकायत अधिकारी का अर्थ है पद से महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती का कोई कर्मचारी अभिप्रेत है, जो भारत में निवासी है;

(घ) प्राप्त शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे का उल्लेख करते हुए हर महीने आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करें, और विशिष्ट संचार लिंक या सूचना के कुछ भागों की संख्या जिसे मध्यवर्ती ने पूर्व संचालित किसी सक्रिय मानीटरी के अनुसरण में स्वचालित उपकरणों का प्रयोग करते हुए पहुँच से हटा दिया या असमर्थ कर दिया कोई अन्य प्रासंगिक सूचना जो निर्दिष्ट की जा सकती है;

(2) प्राथमिक रूप से संदेश की प्रकृति में सेवाएं प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती अपने कंप्यूटर संसाधन पर सूचना के पहले प्रवर्तक की पहचान करने में सक्षम होगा, जो सक्षम अधिकार क्षेत्र की न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक आदेश या सूचना प्रौद्योगिकी (सूचना के अवरोध, निगरानी और अकूटकरण के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के अनुसार सक्षम प्राधिकरण द्वारा धारा 69 के तहत पारित आदेश द्वारा अपेक्षित हो, इलेक्ट्रॉनिक रूप में ऐसी सूचना की प्रति द्वारा समर्थित हो जाएगाः

बशर्ते कि कोई आदेश केवल भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, या लोक व्यवस्था, या उपरोक्त से संबंधित अपराध के लिए उकसाने या बलात्कार, यौन चित्रित सामग्री या बाल यौन दुरुपयोग सामग्री के संबंध में किसी अपराध की निवारण, खोज या अन्वेषण, अभियोजन या दंड के प्रायोजन के लिए ही पारित किया जाएगा, जो कम से कम पांच वर्ष की अवधि के कारावास से दंडनीय हैः

बशर्ते कि उन मामलों में कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जहां सूचना के प्रवर्तक की पहचान करने में अन्य कम घुसपैठ करने वाले साधन प्रभावी हैः

बशर्ते कि पहले प्रवर्तक की पहचान के लिए एक आदेश का अनुपालन करते हुए, किसी भी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक संदेश की सामग्री, पहले प्रवर्तक से संबंधित किसी अन्य सूचना या उसके अन्य

उपयोगकर्ताओं से संबंधित किसी भी सूचना का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं होगीः

बशर्ते कि जहां किसी मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन पर किसी भी सूचना का पहला प्रवर्तक भारत के राज्यक्षेत्र के बाहर अवस्थित है, तो भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर उस सूचना का प्रथम प्रवर्तक इस खंड के प्रयोजन के लिए सूचना का पहला प्रवर्तक माना जाएगा।

(3) एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती जो किसी सूचना के संबंध में कोई भी सेवा प्रदान करता है या अपने कंप्यूटर संसाधन पर किसी अन्य व्यक्ति की ओर से उस सूचना को प्रसारित करता है -

(क) जो किसी ऐसी रीति में प्रत्यक्ष वित्तीय लाभ के लिए इस तरह से इसकी दृश्यता या प्रमुखता को बढ़ाता है, या उस सूचना के प्राप्तकर्ता को लक्षित करता है; या

(ख) जिसके पास प्रतिलिप्याधिकार है, या एक अनन्य विशेष अनुज्ञप्ति है, या जिसके संबंध में उसने कोई संविदा किया है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे सोशल मीडिया मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से प्रदान किए गए साधनों के अलावा किसी अन्य माध्यम से उस सूचना के प्रकाशन या पारेषण को निर्बाधित करता है, उस सूचना को अपने उपयोगकर्ताओं के लिए विज्ञापित, विपणित, प्रायोजित, स्वामित्वाधीन या विशेष अनन्य नियंत्रित रूप में

स्पष्ट रूप से पहचान योग्य बनाएगा, या युक्तियुक्त रीति में उस रूप में पहचान योग्य बनाएगा।

(4) एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती बलात्कार, बाल यौन शोषण या आचरण को किसी भी रूप में चित्रित करने वाले किसी भी कृत या अनुरूपण को दर्शाने वाली सूचना की सक्रिय रूप से पहचान करने के लिए स्वचालित उपकरण या अन्य तंत्र सहित प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को तैनात करने का प्रयास करेगा, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित, या कोई भी सूचना जो उस सूचना के साथ सामग्री में बिल्कुल समान है जिसे पहले हटा दिया गया है या जिस तक पहुंच नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (घ) के तहत ऐसे मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन पर असमर्थ कर दिया गया है, और ऐसी सूचना तक पहुंचने का प्रयास करने वाले किसी भी उपयोगकर्ता को एक नोटिस प्रदर्शित करेगा जिसमें कहा गया है कि इस उप-नियम में निर्दिष्ट उपवर्गों के तहत मध्यवर्ती द्वारा ऐसी सूचना की पहचान की गई हैः

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत मध्यवर्ती द्वारा किए गए उपाय वाक् स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के हितों, ऐसे मध्यवर्ती के कंप्यूटर संसाधन पर उपयोगकर्ताओं की निजता को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक होंगे, जिसमें तकनीकी उपायों के युक्तियुक्त उपयोग द्वारा संरक्षित हित भी सम्मिलित हैं:

बशर्ते कि ऐसा मध्यवर्ती इस उप-नियम के तहत उपायों की समुचित मानव अन्वेक्षा के लिए तंत्र को कार्यान्वित करेगा,

जिसमें ऐसे मध्यवर्ती द्वारा लगाये किसी भी स्वचालित उपकरणों की आवधिक समीक्षा भी शामिल हैः

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत स्वचालित उपकरणों की समीक्षा ऐसे उपकरणों की सटीकता और ऋजुता, ऐसे उपकरणों में पक्षपात और विभेद की प्रवृत्ति और ऐसे उपकरणों की निजता और सुरक्षा पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए स्वचालित उपकरणों का मूल्यांकन करेगी।

(5) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती के पास भारत में एक भौतिक संपर्क पता होगा जो उसकी वेबसाइट, मोबाइल आधारित एप्लिकेशन या दोनों पर प्रकाशित होगा, जो उसे संबोधित संसूचना प्राप्त करने के उद्देश्यों के लिए होगा।

(6) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियम 3 के उप-नियम (2) के तहत शिकायतों की प्राप्ति और इस नियम के तहत प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में शिकायतों के लिए एक उपयुक्त तंत्र कार्यान्वित करेगा, जो शिकायतकर्ता को ऐसे मध्यवर्ती द्वारा प्राप्त प्रत्येक शिकायत या परिवेदना के लिए एक विशिष्ट टिकट संख्या प्रदान करके ऐसी शिकायत या परिवेदना की प्रस्थिति का पता लगाने में सक्षम बनाएगाः

बशर्ते कि ऐसा मध्यवर्ती, युक्तियुक्त सीमा तक, ऐसे शिकायतकर्ता को प्राप्त शिकायत या परिवेदना के अनुसरण में ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की गई या नहीं की गई किसी भी कार्रवाई के लिए कारण प्रदान करेगा।

(7) महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती भारत से अपनी सेवाओं के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाले या भारत में अपनी सेवाओं का उपयोग करने वाले उपयोगकर्ताओं को ऐसे उपयोगकर्ताओं के सक्रिय भारतीय मोबाइल नंबर सहित किसी भी उपयुक्त तंत्र का उपयोग करके स्वेच्छया से अपने खातों का सत्यापन करने में सक्षम बनाएगा और जहां कोई भी उपयोगकर्ता स्वेच्छाया से अपने खाते का सत्यापन करता है, ऐसे उपयोगकर्ता को सत्यापन का एक प्रदर्शनी योग्य और दृश्यमान चिह्न प्रदान किया जाएगा, जो सेवा के सभी उपयोगकर्ताओं को दृश्यमान होगा:

बशर्ते कि इस उप-नियम के तहत सत्यापन के प्रयोजन से प्राप्त सूचना का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि उपयोगकर्ता इस तरह के उपयोग के लिए अभिवक्त रूप से सहमति न दे।

(8) जहां कोई महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती नियम 3 के उप-नियम (1) के खंड (ख) के तहत किसी भी सूचना, डाटा या संसूचना लिंक तक पहुंच को अपनी स्वयं सहमति से हटा देता है या असमर्थकर देता है, तो ऐसा मध्यवर्ती,-

> *(क) सुनिश्चित करें कि उस समय से पहले जब ऐसा मध्यवर्ती पहुंच को हटा देता है या असमर्थ करता है, उसने उस उपयोगकर्ता को प्रदान किया है जिसने अपनी सेवाओं का उपयोग करके सूचना, डाटा या संसूचना लिंक को सृजित किया है, अपलोड किया है, साझा किया है, प्रसारित किया है, या उपांतरित किया है, जिसमें एक अधिसूचना के*

साथ कार्रवाई की जा रही है और ऐसी कार्रवाई के आधार या कारण स्पष्ट रूप से बताए गए हैं;

(ख) यह सुनिश्चित करें कि जिस उपयोगकर्ता ने अपनी सेवाओं का उपयोग करके सूचना को सृजित , अपलोड , साझा , प्रसारित या उपातंरित किया है, उसे ऐसे मध्यवर्ती द्वारा की जा रही कार्रवाई पर विवाद करने का पर्याप्त और युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया है और ऐसी सूचना, डाटा या संसंचार लिंक तक पहुंच को पुनः आरम्भ करने के लिए निवेदन किया गया है, जिसका युक्तियुक्त समय के भीतर निर्णय लिया जा सकता है।

(ग) यह सुनिश्चित करना कि ऐसे मध्यवर्ती का निवासी शिकायत अधिकारी खंड (ख) के तहत उपयोगकर्ता द्वारा उठाए गए किसी भी विवाद के समाधान के लिए तंत्र पर समुचित निगरानी बनाए रखे।

(9) मंत्रालय किसी भी महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती से ऐसी अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है जो वह इस भाग के प्रयोजन के लिए आवश्यक समझता है।"

7. आचार संहिता का नियम 3 और 4 यूट्यूब, वॉट्सऐप, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे विभिन्न मध्यस्थों पर लागू होता है। ये दिशानिर्देश उन सामग्री की प्रकृति को नियंत्रित करते हैं जिन्हें इन प्लेटफार्मों द्वारा होस्ट नहीं किया जाना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के साथ पढ़े जाने वाले इन दिशानिर्देशों में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में अपराधों का भी प्रावधान है। सूचना

प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत अपराधों के अलावा, उल्लंघन करने वालों पर भारतीय दंड संहिता के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है। इस प्रकार, याचीगण की शिकायत कि गैर-फिल्मी गीतों, उनके गीतों और वीडियो को सेंसर/समीक्षा करने के लिए कोई नियामक प्राधिकरण/सेंसर बोर्ड नहीं है, जो टेलीविजन, यूट्यूब आदि जैसे विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं, नैतिकता संहिता और उसके तहत बनाई गई व्यवस्था द्वारा ध्यान रखा गया है।

8. आचार संहिता की धारा 7 में कहा गया है कि जब भी कोई मध्यवर्ती इन नियमों का पालन करने में असमर्थ रहता है, तो अधिनियम की धारा 79 की उप-धारा (1) के उपबंध ऐसे मध्यवर्ती पर लागू नहीं होंगे और मध्यवर्ती तत्सम प्रवत्त किसी भी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों सहित तत्काल लागू किसी भी विधि के तहत सजा के लिए उत्तरदायी होगा।

9. आचार संहिता का भाग III समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों और अन्य मध्यस्थों पर लागू होता है जो विभिन्न सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों पर सूचना का प्रसार करते हैं। यह आचार संहिता के नियम 3 और 4 के तहत दिशानिर्देशों के अलावा है और डिजिटल मीडिया प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों पर लागू होता है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ये मंच मध्यवर्ती नहीं होने के बावजूद भी विनियमित हों और ऐसी सामग्री

अपलोड न करें जो नीचे दिए गए नियमों और विनियमों का उल्लंघन करती हो। आचार संहिता की धारा 9 समाचार और समसामयिक मामलों की सामग्री के प्रकाशकों और ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशकों या ओटीटी प्लेटफार्मों के प्रकाशकों को इन नियमों के साथ संलग्न परिशिष्ट में अधिकथित आचार संहिता का पालन करने और अनुसरण करने का निर्देश देती है। उक्त परिशिष्ट इस प्रकार हैः

"I. समाचार और समसामयिक मामलेः

(i) प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 के तहत भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंड;

(ii) केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन) अधिनियम, 1995 की धारा 5 के तहत कार्यक्रम संहिता;

(iii) उस समय लागू किसी भी विधि के तहत प्रतिषिद्ध सामग्री को प्रकाशित या पारेषण नहीं किया जाएगा।

II. ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्रीः
(क) सामान्य सिद्धांतः

(क) एक प्रकाशक किसी भी ऐसी सामग्री को पारेषण या प्रकाशित या प्रदर्शित नहीं करेगा जो उस समय लागू किसी विधि के तहत प्रतिषिद्ध है या जिसे सक्षम अधिकार क्षेत्र के किसी भी न्यायालय द्वारा प्रतिषिद्ध किया गया है।

(ख) कोई प्रकाशक निम्नलिखित प्रवर्गों के अंतर्गत आने वाली किसी भी सामग्री की विवक्षाओं पर सम्यक विचार करने के बाद, किसी भी सामग्री को चित्रण करने या पारेषण करने या प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने का निर्णय लेते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखेगा, और इसके संबंध में सम्यक सावधानी और स्वःविवेक का प्रयोग करेगा, अर्थात्ः-

(i) ऐसी सामग्री जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित करती है।

(ii) ऐसी सामग्री जो राज्य की सुरक्षा को चुनौती देती है, खतरे में डालती है या जोखिम में डालती में डालती है।

(iii) ऐसी सामग्री जो भारत के दूसरे देशों के साथ मित्रता के संबधो के लिए हानिकारक है

(iv) ऐसी सामग्री जिसमें हिंसा भड़काने या लोक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न होने की संभवना हो।

(ख) सामग्री वर्गीकरणः

(i) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशक द्वारा पारेषित या प्रकाशित या प्रदर्शित सभी सामग्री को सामग्री की कोटी और प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित मूल्यांकन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा, अर्थात्ः–

(क) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो बच्चों के साथ-साथ सभी उम्र के लोगों के लिए उपयुक्त है, उसे "यू" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(बी) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, और जिसे 7 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन में देख सकता है, उसे "यू/ए 7 +" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(ग) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो 13 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, और जिसे माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन में 13 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है, उसे "यू/ए 13 +" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो 16 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त है, और जिसे माता-पिता के मार्गदर्शन के अधीन में 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है, को "यू/ए 16 +" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; और

(ङ) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री जो वयस्कों के लिए प्रतिबंधित है, उसे "ए" रेटिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) सामग्री को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर संशोधित करने के पश्चात् यथावर्णित किया जा सकता है ।–(i) थीम और संदेश; (ख) हिंसा; (ग) नग्नता; (iv) सैक्स; (च) भाषा; vi) नशीली दवाओं और मादक पदार्थों का दुरुपयोग; और (vii) अनुसूची में वर्णित भयावहता, के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकेगा।

(ग) वर्गीकरण का प्रदर्शनः

(क) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का प्रकाशक प्रत्येक सामग्री या कार्यक्रम के लिए विशिष्ट वर्गीकरण रेटिंग को एक सामग्री विवरणकर्ता के साथ प्रमुखता से प्रदर्शित करेगा, जो उपयोगकर्ता को सामग्री की प्रकृति के विषय में सूचित करेगा, और तथा दर्शकों को प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में दर्शकों को विवेक (यदि लागू हो) पर सलाह देगा, जिससे उपयोगकर्ता कार्यक्रम देखने से पूर्व एक सहज निर्णय लेने में सक्षम होगा।

(ख) यू/ए 13 + या उससे अधिक के रूप में वर्गीकृत सामग्री उपलब्ध कराने वाली ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का प्रकाशक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी सामग्री के लिए पैरेंटल लाक सहित पहुँच नियंत्रण तंत्र उपलब्ध हो।

(ग) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का एक प्रकाशक जो सामग्री या कार्यक्रम उपलब्ध कराता है जिसे 'ए' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ऐसी सामग्री के दर्शकों के लिए एक विश्वसनीय आयु सत्यापन तंत्र लागू करेगा।

(घ) ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री के प्रकाशक को किसी भी प्रिंट, टेलीविजन या ऑनलाइन सम्वर्धन या प्रचार सामग्री में अपने कार्यक्रमों के लिए वर्गीकरण मूल्यांकन और उपभोक्ता सलाह को शामिल करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी प्रत्येक सामग्री के लिए विशिष्ट वर्गीकरण मूल्यांकन को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए।

(घ) एक बच्चे द्वारा कुछ क्यूरेटेड सामग्री तक पहुंच का प्रतिबंधःऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का प्रत्येक प्रकाशक जो ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है, जिसकी "ए" रेटिंग है, वह युक्तियुक्त पहुंच नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन द्वारा एक बच्चे द्वारा ऐसी सामग्री तक पहुंच को निर्बाधित करने के लिए सभी प्रयास करेगा।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों द्वारा ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री की पहुंच में सुधार के उपायः

ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री का प्रत्येक ऐसा प्रकाशक, साध्यसीमा, तक्क सेवाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से द्वारा विकलांग व्यक्तियों को प्रसारित ऑनलाइन क्यूरेटेड सामग्री की पहुंच में सुधार के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेगा।" (जोर दिया गया)

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विभिन्न मीडिया मंचों द्वारा आम जनता के लिए उपलब्ध विनियमन/क्षेत्राधिकार को विनियमित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक स्पष्ट सूचना/सामग्री निर्धारित की गई है। जहाँ तक टेलीविजन का संबंध है, सिनेमेटोग्राफ अधिनियम, 1952 और केबल टेलीविजन नेटवर्क

(विनियमन) अधिनियम, 1995, इन मंचों पर प्रसारित की जा रही सामग्री के विनियमन से संबंधित मुद्दे को संबोधित करते हैं। याचीगण का यह तर्क कि कोई नियामक प्राधिकरण नहीं है, अनुचित है। एक नियामक प्राधिकरण की नियुक्ति के लिए निर्देश देने के परिणामस्वरूप इस न्यायालय द्वारा विधि बनाया जाएगा जिसकी अनुमति नहीं है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच शक्ति पृथक्करण की अवधारणा को सर्वोच्य न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में अभिकथित किया गया है। न्यायालय किसी अधिनियम को आदेशित नहीं कर सकते हैं या किसी अधिनियम में प्रावधान नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यह उस अधिनियम के बराबर होगा जिसकी इस देश की संवैधानिक योजना में अनुमति नहीं है।

11. सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांकित 16.04.2021 के निर्णय को **रि.या.(सि.) सं. 428/2021** में जिसका शीर्षक जॉन पेली बनाम केरल राज्य, यह अभिनिर्धारित किया गया है न्यायालय के पास न्यायनिर्णायक परमादेश या न्यायाधिकरण स्थापित करने की शक्ति नहीं है। न्यायपालिका की भूमिका मुख्य रूप से केवल एक अधिनियम की वैधता का परीक्षण करने के लिए है न कि एक अधिनियम में संशोधन/उपांतरण करने के लिए न्यायालय, प्राधिकरणों, नियामकों की स्थापना विशुद्ध रूप से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती है न कि न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, तत्काल रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं है।

13. तदनुसार, रिट याचिका को लंबित आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज कर दिया जाता है।

मुख्य न्या. सतीश चंद्र शर्मा,

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद,

जनवरी 24, 2023
राहुल

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*